

Title: Need to enquire into ill treatment meted out to passengers waiting for Laddakh bound flight at Delhi Airport.

श्री शुपरतान लेवांग (लालाख) : मानवीय उपायक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे मेरे संस्थानी शेत्र लालाख के विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने का अवसर दिया है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ और जैसा कि दम सभी जानते हैं कि पूरे लालाख शेत्र में सर्टिफिकेट के 6-7 महीने वर्कजारी की वजह से सरके आवाजाही के लिए बंद हो जाती हैं। लालाख में आने-जाने का एक ही साधन होता है, वह फ्लाई जहाज के जरिए होता है। पिछले दो-तीन दृष्टियों से गौमात्रा की स्थानीय कारण जहाजों की आवाजाही में विचार पड़ा है और बहुत सी फ्लाइट्स के कैंसिलेशंस हो रहे हैं। इसकी वजह से लालाख जाने वाले सैकड़ों यात्री टिल्ली फ्लाई अड्डे के टर्मिनल-1, टर्मिनल-3, जम्मू के फ्लाई अड्डे पर और चंडीगढ़ के फ्लाई अड्डे पर फंसे हुए हैं और उनको असुविधा हो रही है। बजाय इसके कि एयरलांड्स उनके साथ सठानभूति दिखाएं, उनके साथ पश्चापतर्पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। एयरलांड्स उनके साथ ज्यादती कर रही हैं, उनके साथ दुर्लभवहार कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का एक एक निर्देश है - "Civil Aviation Requirements (CAR), Section-3, Series-M, Part-IV on 'Facilities to be provided to passengers by airlines due to denied boarding, cancellation of flights and delay in flights.' इसके बारे में निर्देश दिया गया है कि अग्र फ्लाइट डिटेलों परीक्षा होती है तो उनके लिए खाने-पीने की व्यवस्था करें। अगर फ्लाइट डिटेलों की सुविधा दी जाए... (व्यवधान)